

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता,  
सभी संबंधित विद्युत अधीक्षण अभियंता,  
सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता,  
सभी संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक- 24/2/2020


**विषय:-** Graduate Apprentice एवं Diploma Apprentice के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Apprentice Act. 1961 में निहित प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा Graduate Apprentice एवं Diploma Apprentice के रूप में प्रशिक्षण कराया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण हेतु विभागीय पत्रांक-1506 दिनांक-08.02.2019 एवं पत्रांक-2046 दिनांक-22.02.2019 द्वारा निर्गत आदेश की कंडिका-(i) एवं (ii) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त प्रशिक्षण की अवधि योगदान की तिथि से 01 वर्ष के लिए होगी तथा 01 वर्ष समाप्त होने के पश्चात् विभाग में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

अतः सभी संबंधित नियंत्रि पदाधिकारी से अनुरोध है कि प्रशिक्षण हेतु योगदान की तिथि से 01 वर्ष की अवधि पूरी होने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रशिक्षण पर न रखा जाय अन्यथा इसके लिए सारी जवाबदेही आपकी होगी।

विश्वासभाजन,




(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1673(2)

पटना, दिनांक- 24/2/2020

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/आई0टी0 मैनेजर,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

वि